"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2006—फाल्गुन 9, शक 1927

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ 4-67/गृह-सी/2006.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिषेध तत्काल प्रभाव से किया जाये.

अतएव छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

(क क) वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय कार्मिक जो —

(सात) राजस्व विभाग के विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं से संबंधित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 4-67/गृह-सी/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड 3 (1) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक -एफ- 4-67/गृह-सी/2006 दिनांक 28-02-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

Raipur, the 28th February 2006

ORDER

No. F 4-67/Home-C/2006.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public to prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below with immediate effect :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below with immediate effect.

SCHEDULE

(AA) Scientific, technical, executive, operative and Ministrial personnel connection with-

"(vii) The Services under the Head of Department Revenue and their Subordinate office."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. JAIN, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.